

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 25/2026 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस.: 2026/40

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा
ग्रामीण (राज0)

बनाम

फूलचंद पुत्र कान्हा जाति अहीर निवासी अलोद उम्र 52 साल थाना चेचट
जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 22.5.2026



थानाधिकारी पुलिस स्टेशन चेचट जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल फूलचंद पुत्र कान्हा जाति अहीर निवासी अलोद उम्र 52 साल थाना चेचट जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	20/13.1.2026	13 आरपीजीओ	13/31.1.2026	100 रु. जुर्माना 6.2.2026
2.	33/4.2.2026	13 आरपीजीओ	25/12.2.2026	100 रु. जुर्माना 18.2.2026

अतः गैरसायल फूलचंद पुत्र कान्हा जाति अहीर निवासी अलोद उम्र 52 साल थाना चेचट जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुये नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि थानाधिकारी चेचट द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित अभियोगों की सूची से सहमत हूं। प्रार्थी वर्तमान में शान्ति पूर्वक अपना मजदूरी/व्यवसाय कर अपने एवं परिवार का भरण पोषण कर रहा है। कोई कानून अपराधिक कार्य नहीं कर रहा हूं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध विचाराधीन अम्यासिक अपराधी अधिनियम की कार्यवाही निर्णित कर समाप्त करने की कृपा फरमावे।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी चेचट द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आरपीजीओ की धारा 3(1) के तहत 02 अभियोग दर्ज हुए हैं। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित

**अति. जिला कलक्टर
कोटा**



करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार फूलचंद पुत्र कान्हा जाति अहीर निवासी अलोद उम्र 52 साल थाना चेचट जिला कोटा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 5 दिन के लिए थाना चेचट जिला कोटा की सीमा से जिला चित्तौड़गढ़ के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 5 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 12.06.2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना चेचट जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल फूलचंद पुत्र कान्हा जाति अहीर निवासी अलोद उम्र 52 साल थाना चेचट जिला कोटा को दिनांक 12.06.2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना चेचट जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थाना रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र चेचट जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22.6.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, राजस्थान

10
11
12